कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश संख्या–
दिनाँकित–अप्रैल–27, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1946/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad dated-26-04-2021 में दिये गये नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान में कोविड–19 के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालयों के सचालन हेतु नवीनतम दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में परिवार न्यायालयों के संचालन हेतु सम्मानित दोनों बार संघ, बुलन्दशहर की सहमति के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला जरूरी प्रकृति का कार्य निम्न प्रकार से परिवार न्यायालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा–

पीठासीन अधिकारी	दिनांक
1. श्री हरकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।	28.04.2021, 30.04.2021 05.05.2021, 06.05.2021 15.05.2021, 17.05.2021
2. श्रीमती सोनिका चौधरी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–2,बुलन्दशहर।	10.05.2021, 11.05.2021 18.05.2021, 19.05.2021
3. सुश्री श्वेता वर्मा, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या–3,बुलन्दशहर।	03.05.2021, 04.05.2021 12.05.2021, 13.05.2021 20.05.2021, 21.05.2021

उपरोक्त सारणी में वर्णित पीठासीन अधिकारीगण अग्रिम आदेश तक विभिन्न कार्य दिवसों में कार्य करेंगे।

https://web.whatsapp.com/

उपरोक्त वर्णित न्यायालयों में नियुक्त पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर होने की स्थिति में उक्त परिवार न्यायालय के प्रभारी अधिकारी उक्त कार्य को सम्पादित करेंगे।

बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित मामले जो वी0सी0/वर्चुअल मोड से न्यायालय परिसर में सम्पादित किये जायेंगे। वी0सी0/वर्चुअल मोड से सुनवाई में कठिनाई होने पर पीठासीन अधिकारी भौतिक रूप से सुनवाई करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

ई-मेल के माध्यम से महत्वपूर्ण जरूरी प्रकृति के मामले प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय में सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर द्वारा सृजित की गई ई-मेल आई0 डी0 dcbulandshahr@gmail.com के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, जिसे विद्वान अधिवक्तागण 11:00 बजे पूर्वान्ह तक निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे–

1. न्यायालय का नाम
2. विद्वान अधिवक्ता का नाम, मो0नम्बर व ई0मेल आई0डी0
3. वादी व प्रतिवादी का नाम व मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0

ऐसे विशिष्ट अधिवक्तागण को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होनें कोविड-19 की RTPCR जांच नेगेटिव प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्तागण/प्रतिवादी व लिपिकगण का अग्रिम आदेश तक प्रवेश निषेध रहेगा।

तद्नुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

28/04/21

दिनांक-27.04.2021

(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,बुलन्दशहर।

28/04/21, 10:27 am